मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 301] भोपाल, सोमवार, दिनांक 7 जून 2010—ज्येष्ठ 17, शक 1932

तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जून 2010

क्र. एफ-14-17-2007-बयालीस-(1).—मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21 सन् 2007) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, प्रवेश (अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उप विनियमों में,—

1. विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, खण्ड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(छ) 'सामान्य पूल' से अभिप्रेत है, प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 85 प्रतिशत स्थान, जहां कुल स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 5 प्रतिशत स्थान अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों और 10 प्रतिशत स्थान संस्थागत प्राथमिकता की श्रेणी से भरे जा रहे हैं और वहां इसका अर्थ होगा कि प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 95 प्रतिशत स्थान, जहां कुल स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 5 प्रतिशत स्थान केवल अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरे जा रहे हों, और जहां अनिवासी भारतीय तथा संस्थागत प्राथमिकता श्रेणी के अन्तर्गत कोई प्रवेश नहीं दिए जा रहे हों, वहां इसका अर्थ होगा, प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 100 प्रतिशत स्थान. सामान्य पूल के स्थानों में राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार मध्यप्रदेश के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों (क्रीमीलेयर को छोड़कर) की श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए आरक्षण उपलब्ध रहेगा.".

2. विनियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"**3. लागू होना.**—ये विनियम उन छात्रों पर लागू होंगे जो निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक की पूर्ति के अध्यधीन रहते हुए अनिवासी भारतीयों के लिए आरक्षित 5 प्रतिशत स्थानों के विरुद्ध प्रवेश की वांछा कर रहे हैं:—

(क) ऐसे छात्र के माता-पिता में से कम से कम कोई एक अनिवासी भारतीय होना चाहिए और जो अनिवासी भारतीय के रूप में सामान्यत: विदेश में निवास कर रहे हों;

(ख) छात्र को प्रवेश के लिए प्रायोजित करने वाले व्यक्ति की छात्र के साथ प्रथम डिग्री नातेदारी होना चाहिए और जो अनिवासी भारतीय के रूप में सामान्यत: विदेश में निवास कर रहे हों;

(ग) यदि किसी छात्र के माता-पिता या निकटस्थ रिश्तेदार नहीं हो या जिसे किसी अन्य निकटस्थ रिश्तेदार द्वारा पाल्य के रूप में लिया गया हो तो ऐसे छात्रों को भी प्रवेश हेतु विचार में लिया जा सकता है बशर्ते कि अभिभावक ने छात्र को वास्तविक रूप से पाल्य के रूप में समझा हो तथा ऐसा अभिभावक शैक्षणिक क्रियाकलापों में रुचि तथा छात्र के साथ उसके रिश्ते को दर्शित करते हुए एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा और ऐसा व्यक्ति एक अनिवासी भारतीय हो और सामान्यत: विदेश में निवास कर रहा हो.".

3. विनियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"**4. स्थानों की उपलब्धता.**—सहायता न पाने वाली ऐसी निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में जिन्होंने कि इन स्थानों को भरने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदन प्राप्त कर लिया हो, प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण स्थानों के 5 प्रतिशत तक स्थान अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध होंगे, यदि वे उपलब्ध हों, ऐसे स्थानों के विरुद्ध प्रवेश दिए गए अभ्यर्थियों को किसी भी परिस्थिति में संस्था/पाठ्यक्रम में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शमीम उद्दीन, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 जून 2010

क्र. एफ-14-17-2007-बयालीस-(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, प्रवेश विनियम, 2009 के विनियम 2, विनियम 3 एवं विनियम 4 में संशोधन का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शमीम उद्दीन, अपर सचिव.

Bhopal, the 7th June 2010

No. F-14-17-2007-XLII-(1).—In exercise of the powers conferred by the Section 13 of the Madhya Pradesh Niji Vyavasayik Shikshan Sanstha (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhiniyam, 2007 (No. 21 of 2007), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Admission (Reservation to Non-resident Indian), Regulations 2009, namely :—

AMENDMENTS

In the said regulations,—

1. In regulation 2, in sub-regulation (1), for clause (g), the following clause shall be substituted, namely :—

"(g) 'General pool' means 85% seats of the sanctioned intake per course, where in the total sanctioned intake 5% seats are being filled up by Non-resident Indian candidates and 10% seats under institutional

preference category and it shall mean 95% of the sanctioned intake per course, where in the total sanctioned intake 5% seats are being filled up by Non-resident Indian candidates only, and when no admissions are being done under Now-resident Indian and under institutional preference category then it shall mean 100% of the sanctioned intake per course. In general pool seats, there shall be reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Excluding Creamy layer) category, students for Madhya Pradesh Domicile candidates as per Government notification.".

2. For regulation 3, the following regulation shall be substituted, namely :—

"3. **Applicability**.—These regulations shall be applicable to students who are seeking admissions against 5% seats reserved for non-resident Indian subject to fulfilling one of the following conditions :—

(a) At least one of the parents of such students should be non-resident Indian and shall ordinarily be residing abroad as non-resident Indian;

(b) The person who sponsors the student for admission should be a first degree relation of the student and should be ordinarily residing abroad as a non-resident Indian;

(c) If the student has no parents or near relatives or taken as a ward by some other nearest relative, such students also may be considered for admission provided the guardian has bonafied treated the students as a ward and such guardian shall file and affidavit indicating the interest shown in the education affairs of the student and also his relationship with the student and such person also should be non-resident Indian and ordinarily residing abroad.".

3. For regulation 4, the following regulation shall be substituted, namely :—

4. **Availability of seats.**—Up to 5% of sanctioned intake per course shall be available to Non-resident Indian candidates only, if they are available, in those Private Unaided Professional Educational Institutions who have got approval of All India Council of Technical Education for filling the same. Candidates admitted against such seats will not be allowed to change institution/course in any circumstances.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHAMIM UDDIN, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 7 जून 2010

क्र. एफ-14-17-2007-बयालीस-एक.—मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21 सन् 2007) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, प्रवेश नियम, 2008 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 2 में,—

(एक) खण्ड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ज क) "सामान्य पूल" से अभिप्रेत है, प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 85 प्रतिशत स्थान, जहां कुल स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 5 प्रतिशत स्थान अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से और 10 प्रतिशत स्थान संस्थागत प्राथमिकता की

श्रेणी से भरे जा रहे हैं वहां इसका अर्थ होगा कि प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 95 प्रतिशत स्थान, जहां कुल स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 5 प्रतिशत स्थान केवल अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरे जा रहे हों और जहां अनिवासी भारतीय तथा संस्थागत प्राथमिकता श्रेणी के अन्तर्गत कोई प्रवेश नहीं दिए जा रहे हों, वहां इसका अर्थ होगा, प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 100 प्रतिशत स्थान.''.

(दो) खण्ड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

(ड क) ''स्वीकृत अन्तर्ग्रहण'' से अभिप्रेत है प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये स्थानों का निर्धारित अन्तर्ग्रहण जिसके लिए किसी समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन दे दिया गया हो.''.

2. नियम 4 के उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(2) **स्थानों का आवंटन/आरक्षण.**—प्रत्येक संस्था में तथा उसकी प्रत्येक शाखा में, सामान्य पूल के 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत तथा 14 प्रतिशत स्थान, इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के प्रवर्गों (अन्य पिछड़े वर्गों के प्रवर्गों की क्रीमीलेयर को छोड़कर) के अभ्यर्थियों के लिये क्रमश: आरक्षित होंगे.''.

3. नियम 6 में, उपनियम (2) में, खण्ड (ख) का लोप किया जाए.

4. नियम 7 में,—

(एक) उपनियम (1), (2), (3) तथा (10) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम क्रमश: स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

''(1) समस्त व्यावसायिक महाविद्यालयों में प्रवेश, राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा संचालित राज्य स्तरीय सामान्य प्रवेश परीक्षा में क्रम स्थापना (रैंकिंग) के आधार पर, योग्यता क्रम में दिए जाएंगे.

(2) सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गई परामर्श के विभिन्न चक्रों के लिये विस्तृत प्रक्रिया तथा कार्यक्रम का कड़ाई से अनुपालन करना सभी महाविद्यालयों के लिये बन्धनकारी होगा.

(3) केवल उन संस्थाओं को, जिन्होंने कि सक्षम प्राधिकारी से, शिक्षण शुल्क में छूट प्रदान करने की स्कीम की अनुमति प्राप्त कर ली है और प्रवेशित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के सभी अभ्यर्थियों को शिक्षण शुल्क में 10 प्रतिशत रियायत देने के लिये अपनी सहमति दे दी है, प्रतिपाठ्यक्रम स्वीकृत स्थानों के 10 प्रतिशत स्थान राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा में क्रमस्थापना (रैंकिंग) के आधार पर योग्यताक्रम में संस्थागत प्राथमिकता के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित कार्यक्रम तथा प्रक्रिया के अनुसार तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में भरे जाने की अनुमति दी जाएगी. नियत की गई अंतिम तारीख तक संस्थागत प्राथमिकता श्रेणी में छात्र उपलब्ध न होने की दशा में, ये स्थान सामान्य पूल के स्थानों में संपरिवर्तित हो जाएंगे और राज्य स्तरीय सामान्य प्रवेश परीक्षा के योग्यता क्रम के आधार पर केन्द्रीकृत परामर्श (काउंसलिंग) के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी द्वारा भरे जाएंगे.

(10) संस्थाओं को, प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 5 प्रतिशत तक स्थान केवल अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से, यदि वे उपलब्ध हों, इस प्रयोजन के लिये अधिसूचित विनियमन में विहित रीति से भरे जाने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा बशर्ते कि उन्होंने ऐसे प्रवेशों के लिये समुचित प्राधिकारी से अनुज्ञा अभिप्राप्त कर ली हो. ऐसे स्थानों के विरुद्ध प्रवेशित अभ्यर्थियों को किन्हीं भी परिस्थितियों में संस्था/पाठ्यक्रम परिवर्तित करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी. अनिवासी भारतीय प्रवर्ग में छात्रों की अनुपलब्धता की स्थिति में, स्थान सामान्य पूल में

संपरिवर्तित हो जाएंगे और केन्द्रीकृत परामर्श (काउंसलिंग) के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी द्वारा राज्य स्तरीय सामान्य प्रवेश परीक्षा के योग्यता क्रम के आधार पर भरे जाएंगे. तथापि, रिक्त अनिवासी भारतीय स्थानों के विरुद्ध इस प्रकार प्रवेशित सामान्य पूल के अभ्यर्थियों पर कोई अनिवासी भारतीय शुल्क लागू नहीं होगा.''.

(दो) उपनियम (12) में, खण्ड (ग), (घ), (ङ), (च) तथा (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड क्रमशः स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

''(ग) अनारक्षित तथा आरक्षित दोनों वर्गों के संबंधित अभ्यर्थियों को (सत्यापित दस्तावेजों के साथ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित की गई नियत कालावधि के भीतर ऑन लाईन-ऑफ कैम्पस परामर्श (काउंसलिंग) के लिये स्वयं को पंजीबद्ध करने के लिये सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट लॉग आन करना होगा तथा रजिस्ट्रीकरण के दौरान अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित की गई तथा घोषित की गई रजिस्ट्रीकरण फीस जमा कराना होगी तथा फीस जमा करने के लिये कार्य प्रणाली भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित की जाएगी और सफल रजिस्ट्रीकरण के पश्चात्, एक पासवर्ड दिया जाएगा तथा अपने पासवर्ड की गोपनीयता बनाए रखने का पूरा उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा तथा उसके किसी अप्राधिकृत उपयोग के लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा और यदि कोई अभ्यर्थी अपना पासवर्ड खो देता है/भूल जाता है तो उसे द्वितीय पासवर्ड जारी करने लिए सक्षम प्राधिकारी से निवेदन करना होगा, जिसके लिए अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की गई औपचारिकताएं पूरी करना होंगी तथा ऐसे मामलों में सक्षम प्राधिकारी द्वितीय पासवर्ड घोषित करने का प्रयास करेगा, तथापि सक्षम प्राधिकारी पासवर्ड के जारी होने में विलम्ब के कारण किसी परिणाम के लिये उत्तरदायी नहीं होगा और परामर्श (काउंसलिंग) में भाग लेने के लिये प्रत्येक अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट पर स्वयं का रजिस्ट्रीकरण कराना अनिवार्य होगा तथा यदि कोई अभ्यर्थी नियत कालावधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण कराने में असफल रहता है तो वह परामर्श (काउंसलिंग) के उस चरण में भाग लेने का मौका खो देगा;

(घ) सफलतापूर्वक रजिस्ट्रीकरण के पश्चात्, अभ्यर्थी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किए गए अनुसार नियत समय के भीतर अपना यूजर पहचान चिन्ह और पासवर्ड का उपयोग करके प्रथम, द्वितीय आदि प्राथमिकता के क्रम में अपनी पसन्द के महाविद्यालय तथा शाखाएं (ब्रांचेस) दर्ज करेगा; तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित तथा घोषित किए गए शिक्षण शुल्क का कोई भाग जमा करेगा तथा उसे जमा करने की कार्यप्रणाली भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी;

(ङ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा, एक निर्धारित समयावधि के लिये अनन्तिम आवंटन घोषित किया जाएगा जो उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, इस अवधि के दौरान अभ्यर्थी को निम्नलिखित तीन विकल्पों में से एक विकल्प देना होगा:—

(एक) आवंटित संस्था/शाखा में प्रवेश लेने के लिये इच्छुक है अर्थात् आवंटित स्थान की पुष्टि;

(दो) उच्च प्राथमिकता वाली संस्था/शाखा में उन्नयन के लिये इच्छुक है और यदि अभ्यर्थी को इस प्रकार उन्नयन करने से कोई अन्य महाविद्यालय या शाखा आवंटित की जाती है तो उसका पूर्व में लिया गया प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा तथा उन्नयन नहीं होने की दशा में पूर्व में आवंटित स्थान पर ही प्रवेश लेगा;

(तीन) आवंटित संस्था/शाखा में प्रवेश लेने के लिये इच्छुक नहीं है;

(च) उपरोक्तानुसार अपनी पसन्द बताने के पश्चात्, जो कि अन्तिम होगी और कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी;

(ज) यदि आवश्यक हो तो उपरोक्त यथावर्णित उसी प्रक्रिया के अनुसार ही परामर्श (काउंसलिंग) का उत्तरवर्ती चरण संचालित किया जाएगा और ऐसा अभ्यर्थी जिसे कोई स्थान आवंटित नहीं किया गया है या ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने खण्ड (ङ) में विकल्प (तीन) दिया है, परामर्श (काउंसलिंग) के उत्तरवर्ती चरण में सम्मिलित हो सकते हैं

ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने खण्ड (ङ) में विकल्प (एक) तथा (दो) का प्रयोग किया है और उन्हें उनकी पसन्द के अनुसार स्थान आवंटित किया गया है तथा जिन्होंने विहित समय के भीतर आवंटित संस्था में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई है, उन्हें सामान्य प्रवेश परीक्षा के योग्यता क्रम के आधार पर संचालित होने वाले परामर्श (काउंसलिंग) के द्वितीय चरण में सम्मिलित होने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, तथापि, वे अर्हकारी परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों के योग्यता क्रम के आधार पर संचालित किए जाने वाले परामर्श (काउंसलिंग) के उत्तरवर्ती चरण में सम्मिलित हो सकते हैं.''.

5. नियम 8 में,—

(एक) उपनियम (1) तथा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम क्रमशः स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

''(1) वे संस्थाएं जिन्होंने 5 प्रतिशत स्थान केवल अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से तथा 10 प्रतिशत स्थान संस्थागत प्राथमिकता से भरने के लिये क्रमशः समुचित प्राधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त कर ली है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया तथा कार्यक्रम के अनुसार केन्द्रीकृत परामर्श (काउंसलिंग) के प्रारम्भ होने के पूर्व इन स्थानों को भरेंगी.

(2) यदि सामान्य प्रवेश परीक्षा की योग्यता क्रम के आधार पर परामर्श (काउंसलिंग) के दो चक्रों के पश्चात् भी स्थान रिक्त रहते हैं तो शेष स्थान, अर्हकारी परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर केन्द्रीकृत परामर्श (काउंसलिंग)के माध्यम से भरे जाएंगे, यदि इस चरण के बाद भी स्थान रिक्त रह जाते हैं तो शेष स्थान, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में महाविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा भरे जाएंगे.''.

(दो) उपनियम (3) तथा (4) का लोप किया जाए.

6. उपाबंध में, अनुक्रमांक 2 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''2. **स्थानों की उपलब्धता.**—मध्यप्रदेश में विभिन्न संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की संख्या निम्नानुसार है :—

संस्थाओं के प्रकार (1)		अन्तर्ग्रहण क्षमता की प्रतिशतता (2)
निजी संस्थाएं	(एक)	उन संस्थाओं में जिन्होंने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के लिए और सक्षम प्राधिकारी से संस्थागत प्राथमिकता के अधीन स्थान भरने की अनुज्ञा प्राप्त नहीं की है, सामान्य पूल में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 100 प्रतिशत.
	(दो)	उन संस्थाओं में, जिन्होंने प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 5 प्रतिशत तक अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरने के लिये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, किन्तु जिन्होंने संस्थागत प्राथमिकता प्रवर्ग के अधीन स्थान भरने के लिये अपना विकल्प नहीं दिया है, सामान्य पूल में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 95 प्रतिशत (यदि अनिवासी भारतीय स्थान नहीं भरे गए हैं तो ये स्थान सामान्य पूल के स्थानों में संपरिवर्तित हो जाएंगे).

(1)	(2)
(तीन)	उन संस्थाओं में, जिन्होंने प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अंतर्ग्रहण का 5 प्रतिशत केवल अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरने के लिये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है तथा जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्थागत प्राथमिकता प्रवर्ग के अधीन 10 प्रतिशत तक स्थान भरने के लिये अनुज्ञा मिल गयी है, सामान्य पूल में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 85 प्रतिशत (यदि अनिवासी भारतीय तथा संस्थागत प्राथमिकता वाले स्थान नहीं भरे गए हैं तो ये स्थान सामान्य पूल के स्थानों में संपरिवर्तित हो जाएंगें).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शमीम उद्दीन, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 जून 2010

क्र. एफ 14-17-2007-बयालीस-(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, प्रवेश नियम, 2008 के नियम 2, नियम 4, नियम 6, नियम 7, नियम 8 एवं उपाबंध के अनुक्रमांक (2) में संशोधन का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शमीम उद्दीन, अपर सचिव.

Bhopal, the 7th June 2010

No. F 14-17/2007/XLII (1).—In exercise of the powers conferred by the Section 12 of the Madhya Pradesh Niji Vyavasayik Shikshan Sanstha (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhiniyam, 2007 (No. 21 of 2007), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Admission Rules, 2008, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules, —

1. In rule 2,—

(i) after clause (h) the following clause shall be inserted, namely :—

"(h-a) "General pool" means 85% seats of the sanctioned intake per course, where in the total sanctioned intake 5% seats are being filled up by Non-resident Indian candidates and 10% seats under institutional preference category, and it shall mean 95% of the sanctioned intake per course, where in the total sanctioned intake 5% seats are being filled up by Non-resident Indian candidates only, and when no admissions are being done under Non-resident Indian and under institutional preference category then it shall mean 100% of the sanctioned intake per course;";

(ii) after clause (m) the following clause shall be inserted, namely :—

"(m-a) "Sanctioned intake" means fixed intake of seats per course for which approval has been given by an appropriate authority;".

2. For sub rule 2 of rule 4, the following sub rule shall be substituted, namely:—

"(2) **Allocation/reservation of seats.**—In every institution and in its each branch 16%, 20% and 14% seats of General pool shall be reserved for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (excluding creamy layer of other backward classes' category) categories respectively as notified by the State Government in this regard.".

3. In rule 6 in sub-rule (2) Clause (b) shall be omitted.

4. In rule 7,

(i) for sub-rule (1), (2), (3) and (10) the following sub-rules shall respectively be substituted, namely :—

"(1) The admission in all the professional colleges shall be done in the order of merit on the basis of ranking in State level Common Entrance Test conducted by any agency duly authorised by the State Government.

(2) Strict compliance to the detailed procedure and schedule for different rounds of counselling as notified by the Competent Authority from time to time shall be binding on all the colleges.

"(3) Only those institutions, which have got permission for Tuition Fee Wavier scheme from Competent Authority and has given consent to give 10% concession in tuition fee to all the admitted Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates, shall be permitted to fill up to 10% of sanctioned seats per course through institutional preference in the order of merit on the basis of ranking in State level Common Entrance Test as per the schedule and procedure notified by the Competent Authority and in the presence of the representative authorised by Competent Authority. In the event of non-availability of students in institutional preference category on the stipulated last date, these seats will be converted to general pool and shall be filled on the basis of merit of state level common entrance test by the Competent Authority through centralised counselling.

(10) Institutions shall be allowed to fill up to 5% of the sanctioned intake per course by Non-resident Indian candidates only, if they are available, in the manner prescribed in the regulation notified for this purpose, provided they have obtained the permission from the appropriate authority for such admissions. Candidates admitted against such seats will not be allowed to change institution/course in any circumstances. In the event of non-availability of students in Non-resident Indian category, the seats will be converted to general pool and shall be filled on the basis of merit of state level common entrance test by the Competent Authority through centralised counselling. However, no Non-resident Indian fee shall be applicable to general pool candidates thus admitted against vacant Non-resident Indian seats.";

(ii) in sub-rule (12) for clauses (c), (d), (e), (f) and (h), the following clauses shall respectively be substituted, namely :—

"(c) candidates belonging to both unreserved and reserved categories (with verified documents) should logon to the website of the competent authority to register himself for Online-Off campus counselling within the stipulated period as declared by the competent authority, and during registration the candidate shall have to deposit the registration fee as decided and declared by the Competent Authority, and the modus-operandi for depositing fee shall also be declared by the competent authority, and after successful registration a password shall be generated and it shall be the sole responsibility of the candidate to maintain secrecy of his password, and the candidate himself shall be responsible for any of its unauthorised use, and if a candidate has lost/forgotten his password, he shall have to request the competent authority for the issue of second password, for which the candidate shall have to complete the formalities specified by the competent authority, and in such cases the competent authority shall try to declare a password, however, the

competent authority shall not be responsible for any consequences, due to delay in issue of password, and to participate in the counselling, it is mandatory for every candidate to register himself on the website of the competent authority, and if a candidate fails to register within the stipulated period, he shall lose the chance of participating in that phase of counselling;

(d) after successful registration, candidate shall, enter choices of colleges and branches in order of preference i.e. first, second etc., by using his user identification and password within the stipulated schedule as declared by competent authority, and deposit the part of tuition fee as decided and declared by the competent authority and the modus-operandi for depositing the same shall also be specified by the competent authority;

(e) Tentative allotment shall be declared by the competent authority, which shall be available on its website, for a selected period of time, during which candidate shall have to give one of the following three options:—

(i) Interested to take admission in the allotted institute/branch i.e. confirm the allotted seat.

(ii) Interested for up gradation to higher preference of institution/branch and if as per up gradation another college or branch is allotted to candidate, then his previous admission shall automatically stands cancelled and in case of no up gradation shall take admission on the previously allotted seat.

(iii) Not interested in taking admission in the allotted institute/branch;

(f) After locking of the choices as above, which shall be final and no request shall be entertained;

(h) If needed, subsequent phase of counselling shall be conducted, according to the same procedure as described above, and the candidate who has not been allotted any seat or the candidates who have given option (iii) in clause (e), can participate in subsequent round of counselling. Candidates, who have exercised option (i) and (ii) in clause (e) and have been allotted seat as per their choices and has not reported to the allotted institute within the prescribed time will not be allowed to participate in second phase of counselling conducted on the basis of merit of the common entrance test, however, they can participate in the subsequent phase of counselling (if conducted), to be conducted on the basis of merit of the marks obtained in qualifying examination." .

5. In rule 8,—

(i) for sub-rules (1) and (2), the following sub-rules shall respectively be substituted, namely :—

"(1) Those institutions, which have got permission to fill up to 5% seats by Non-resident Indian candidates only and 10% institutional preference seats by Appropriate Authority and Competent Authority respectively, shall fill these seats before the start of Centralised counselling as per the procedure and schedule notified by the Competent Authority.

(2) If seats remains vacant even after two rounds of counselling on the basis of merit of common entrance test, then remaining seats shall be filled through centralised counselling on the basis of marks obtained in the qualifying examination, if seats remain vacant even after this round then remaining seats shall be filled by college authorities in the presence of representative of competent authority, according to the procedure notified by the competent authority.":

(ii) sub-rule (3) and (4) shall be omitted.

6. in annexure, for serial munber 2, the following serial munber shall be substituted, namely :—

2. **Availability of seats.**—Number of seats available in various institutions in Madhya Pradesh are as follows:—

Type of institutions (1)	Percentage of intake capacity (2)
Private institutions	(I) 100% of sanctioned intake will be in general pool in those institutions which have not got permission from All India Council of Technical Education for admitting Non-resident Indian candidates and permission from Competent Authority to fill seats under institutional preference.
	(II) 95 % of sanctioned intake will be in general pool in those institutions, which have got approval of All India Council of Technical Education for filling up to 5% of sanctioned intake per course by Non-resident Indian candidates, but have not opted for filling seats under institutional preference category (Non-resident Indian seats, if not filled then shall be converted in to general pool seats).
	(III) 85 % of sanctioned intake will be in general pool in those institutions, which have got approval of All India Council of Technical Education for filling up to 5% of sanctioned intake per course by Non-resident Indian candidates only and have been given permission by competent authority for filling up to 10% seats under institutional preference category (Non-resident Indian and institutional preference seats, if not filled then shall be converted in to general pool seats).

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHAMIM UDDIN, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.